1 श्री चन्दनसिंह भाटी, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से ।
2 श्री अमरसिंह भाटी अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए, आर.टी.एक्ट.

– निर्णय – दिंनाक – 16.10.2021

इस प्रकरण के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि तहसील औसिया के ग्राम हरलाई की सरहद मे स्थित खसरा नम्बर 25/3 रकबा 22 बीघा 4 बीस्वा भूमि प्रार्थी के नाम से खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा आई हुई है। चालु जमाबन्दी की नकल साथ मे पेश है तथा नजरी नक्शा साथ मे पेश किया है उपरोक्त वर्णित खसरा की भूमि के पूर्वी दक्षिणी तरफ खसरा नम्बर 27 रकबा 1 बीघा 4 बीस्वा भूमि अप्रार्थीगण के नाम की खातेदारी की व कब्जा काश्त सुदा आई हुई है । उक्त भूमि के दक्षिणी, पूर्वी तरफ एक सडक आई हुई है । अप्रार्थीगण के खातेदारी की चालु जमाबन्दी की नकल साथ मे पेश है । उपरोक्त वर्णित प्रार्थी के खातेदारी की भूमि मे आने जाने हेतू सडक के रास्ते से अप्रार्थीगण की भूमि मे से कदीमी रास्ता चलता है जिसे नजरी नक्शे मे मार्क **ए** से **बी** दर्शाया गया है इसके अलावा प्रार्थी की भूमि मे आने जाने के लिए दुसरा कोई वैकल्पिक रास्ता नही है । अप्रार्थीगण ने हाल ही मे उक्त रास्ते को अवरूद्ध व बन्द करने पर आमादा है । प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को उक्त रास्ता राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करवाने के लिए कहा किन्तु उक्त रास्ते का मामला पारस्परिक सहमती से तय नही हुआ इसलिए प्रार्थी न्यायालय हाजा मे उक्त रास्ता तय करने एवं राजस्व रेकर्ड मे रास्ता दर्ज करवाने हेतू यह प्रार्थना पत्र पेश कर रहे है । प्रार्थी को उक्त रास्ता कटान के रास्ते से अप्रार्थीगण की भूमि के अन्दर 30 फुट चोडा रास्ता प्रार्थी की भूमि तक तय किया जाकर राजस्व रेकर्ड मे रास्ता दर्ज किया जावे । प्रार्थी विधि अनुसार एवं डी.एल.सी. की असिंचित व सिंचित भूमि की दर के अनुसार रास्ते की भूमि का प्रतिकर न्यायालय हाजा द्वारा

Scanned with CamScanner

अवधारित करने पर अदा करने के लिए तैयार है । अप्रार्थी के खातेदारी की भूमि असिंचित है । अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि मे चल रहे कदीमी कटाण के रास्ते से प्रार्थीगण की भूमि मे खांद बींज व अनाज एवं चारा आदि की झाले व ट्रक आने जाने के लिए 30 फुट चोडे रास्ते की आवश्यकता है जिससे की ट्रक व चारे की झाले आसानी से आ जा सके एवं आवागमन मे कोई असुविधा नही हो । प्रार्थी को उक्त रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है एवं नजरी नक्शे मे दर्शाया गया रास्ता लघुतम् एवं निकटतम् रास्ता है। अतः अन्त मे प्रार्थी ने निवेदन किया है कि उपरोक्त वर्णित खातेदारी भूमि मे प्रार्थी के आने जाने हेतू रास्ता अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 27 मे से नजरी नक्शे मे दर्शाए गये लाल रंग से मार्क ए से बी तक 30 फुट चोडा रास्ता मंन्जूर किया जाकर राजस्व रेकर्ड मे रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश फरमावे।

प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिश जारी किये गये बाद तामील अप्रार्थीगण की तरफ से अधिवक्ता द्वारा वकालात नामा पेश किया गया । अप्रार्थीगण को जबाव हेतू कई अवसर दिये गये लेकिन अप्रार्थीगण की ओर से कोई जबाव प्रस्तुत नही किया गया । हल्का पटवारी व आर.आई. से मौका रिपोर्ट तलब की जाकर सामिल मिसल की गई तथा प्रार्थी व अप्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई व पत्रावली व आर.आई. रिपोर्ट का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया न्यायहित मे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ।

ग्राम हरलाई की सरहद मे स्थित खसरा नम्बर 25/3 रकबा 22 बीघा 4 बीस्वा भूमि मे आने जाने हेतू खसरा नम्बर 27 मे से हल्का पटवारी की मौका फर्द मे दर्शाए अनुसार मार्क ए से बी तक 20 फुट चोडा रास्ता के उपयोग हेतु घोषित किया जाता है । प्रार्थी से नियमानुसार डी, एल, सी, की दर से दो गुना प्रतिकर की राशि का भुगतान करवाया जाकर राजस्व रेकर्ड व लठ्ठा ट्रेश मे अमल दरामद किया जावे । तहसीलदार को तहरीर जारी की जावे । पत्रावली फैसल सुमार की जाकर दाखिल दप्तर हो ।

सहायक कलेक्टर, ओसियां

आदेश आज दिंनाक .... को खुले न्यायालय मे सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया ।

सहायक कलेक्टर ,औसिया।